राज्य सलाहकार समिति की बैठक
दिनांक 28.06.2019
कार्यवाही विवरण

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 28.06.2019 को (दोपहर 3:00 बजे) चतुर्थ तल पर स्थित मीटिंग कक्ष में, डॉ. ज्योत्सना श्रीवास्तव, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज, भोपाल, (म.प्र), की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई |

बैठक में निम्नलिखित राज्य सलाहकार समिति के सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. डॉ रेनू चुघ, पैथोलॉजिस्ट, जय प्रकाश चिकित्सालय ,भोपाल |
2. श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग |
3. डॉ शशी कावड़े, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जय प्रकाश चिकित्सालय, भोपाल |

इसके अतिरिक्त बैठक में निम्नानुसार अन्य सदस्य सम्मिलित हुए:-

1. डॉ. राजश्री बजाज, उप संचालक, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल (म.प्र) |
2. श्रीमती स्वाती बी सिंह, राज्य सलाहकार, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एक्ट, भोपाल (म.प्र) |

1. अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक के निर्धारित समय में आयोजित नहीं किये जाने पर खेद प्रकट किया | समिति को अवगत कराया गया कि, दिनांक 31.07.2018 के उपरांत आचार संहिता, लोकसभा एवं विधान सभा चुनाव के कारण आगामी बैठक का आयोजन नियत समय में नहीं किया जा सका | इसके अतिरिक्त समिति में 03 अशासकीय सदस्य होने के कारण, समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलन में है | इस कारणवश आज की बैठक में अशासकीय सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया गया है |

2. पूर्व की बैठक दिनांक 31.07.2018 के पालन प्रतिवेदन पर निम्नानुसार चर्चा की गयी:-

क्रमांक		पालन प्रतिवेदन
2.1.	PCPNDT MIS के अंतर्गत grievance redressal हेतु module विकसित किये जाने हेतु पूर्व की बैठक में अभिमत दिया गया था। इस विषय में उचित माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत module विकसित करने का परामर्श दिया गया		Grievance redressal module के प्रारूप पर उप संचालक, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी से MP online के प्रतिनिधियों से दूरभाष पर चर्चा की गयी	आगामी बैठक से पूर्व Grievance Redressal Module की व्यवस्था अनिवार्यत: परिचालित किए जाने का अभिमत दिया गया	
2.2.	इसी तरह, जिला सलाहकार समिति के नियमानुसार गठन एवं नियमित बैठक के सम्बन्ध में पूर्व की बैठक में दिए गए परामर्श के सम्बन्ध में जारी पत्र से अवगत कराया गया	महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा जिला सलाहकार समिति की बैठक में जिले स्तर पर पदस्थ महिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सम्मिलित करने हेतु परामर्श दिया गया	इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित विभाग i.e., महिला एवं बाल विकास विभाग, से इस सम्बन्ध में पत्र प्राप्त करने के उपरांत अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी को पत्र लिखे जाने हेतु अभिमत दिया गया		समिति को इस सम्बन्ध में 28.07.2019 को समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला नोडल अधिकारियों को प्रेषित किये गए पत्र से अवगत कराया गया	पुनः इस सम्बन्ध में DO पत्र के माध्यम से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

2.3.	सदस्यों को जिलों से प्राप्त त्रैमासिक रिपोर्ट से अवगत कराया गया | अध्यक्ष महोदया द्वारा नियमित निरीक्षण एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक नहीं किये जाने पर खेद प्रकट किया गया एवं इस सम्बन्ध में जिले कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी को पत्र लिखे जाने का अभिमत दिया गया | इसके अतिरिक्त, सदस्यों द्वारा जिले में गठित जिला सलाहकार समिति एवं जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हेतु परामर्श दिया गया |	समिति के समक्ष प्रस्तुत त्रैमासिक रिपोर्ट में अधिकतम जिलों द्वारा निर्धारित समय में जिला सलाहकार समिति की बैठक एवं निरीक्षण नहीं किये जाने पर चिंता व्यक्त की गयी | इस हेतु चिन्हित जिलों को स्पष्टीकरण पत्र लिखे जाने का मत दिया गया | Missing Pregnancy ट्रैक करने पर गर्भवती महिलाओं के MTP अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन सम्भावित है |
2.4.	बैठक में Missing Pregnacny पर गहन चर्चा की गयी | सदस्यों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित पर Missing Pregnancy के monitoring हेतु कार्यप्रणाली -follow up of the outcome - विकसित किये जाने का परामर्श दिया गया |	उप संचालक, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी द्वारा Missing Pregnancy के Monitoring के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था- ह्यूमन रिसोर्स, मोनिटरिंग टूल आदि - उपलब्ध नहीं होना बताया गया | इसके अतिरिक्त मोनिटरिंग की व्यवस्था का गर्भवती महिलाओं की एम.टी.पी अधिनियम एवं नियम में निर्धारित अधिकारों से हस्ताक्षेपपूर्ण होने का मत दिया गया|
2.5.	पूर्व की दो बैठकों में राज्य सलाहकार समिति में नामांकित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं पैथोलोजिस्ट की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष महोदया द्वारा सम्बन्धित अधिकारी (सिविल सर्जन, जय प्रकाश नारायण शासकीय जिला अस्पताल) से जानकारी प्राप्त करने हेतु अभिमत दिया गया | पूर्व में नामांकित सदस्यों की किसी कारणवश उपलब्धता नहीं होने पर नवीन नामांकन प्राप्त किये जाने हेतु अतिरिक्त अभिमत भी दिया गया |	इस सम्बन्ध में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जय प्रकाश चिकित्सालय को दिनांक 10.06.2019 को पत्र प्रेषित किया गया है | इस तारतम्य में सिविल सर्जन, जय प्रकाश अस्पताल, से नामांकन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया |

3. बैठक में पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एम.आई.एस की समीक्षा की गयी | एम.आई.एस में निम्नानुसार संशोधनों की आवश्यकता पायी गयी:-

3.1. MIS में facilities के अंतर्गत Echo-cardiography की विशेषता के सम्बन्ध में कोई भी कॉलम अंकित नहीं है | इस सम्बन्ध में eco-cardiography एवं अन्य विशेषताओं/ शैक्षणिक योग्यता का अंकित किया जाना होगा | इस सम्बन्ध में राज्य स्टेट मेडिकल काउंसिल से उचित मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का मत दिया गया |

3.2. केन्द्रों द्वारा नवीन पंजीयन अथवा पंजीयन के नवीनीकरण हेतु प्रेषित फॉर्म A में acknowledgment पर जिला समुचित प्राधिकारी/ जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते है | वर्तमान में एम.आई.एस मे केवल जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा acknowledgment पर हस्ताक्षर

किये जाने की व्यवस्था की गयी है | समिति द्वारा जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने की व्यवस्था किये जाने का मत दिया गया |.

3.3. पंजीयन के नवीनीकरण के सम्बन्ध में PCPNDT MIS के माध्यम से 30 दिवस (पंजीयन की वैधता) के अंतर्गत आवेदन दिए जाने की व्यवस्था है | समिति द्वारा अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन नवीनीकरण का आवेदन 30 दिवस (पंजीयन की वैधता) के पूर्व दिए जाने की व्यवस्था किये जाने का मत दिया गया |

3.4. जिले में पंजीयन एवं पंजीयन के नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों का समयानुसार निराकरण करने हेतु जिला कलेक्टर को निर्देशित किये जाने का मत दिया गया |

3.5. Assisted reproductive technology के PCPNDT Act के अंतर्गत विनियमन हेतु पी.एन.डी.टी शाखा, (भारत सरकार) से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु मत दिया गया |

4. समिति के सदस्यों द्वारा पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत पंजीकृत केन्द्रों द्वारा obstetrics सोनोग्राफी नहीं किये जाने एवं फॉर्म F नहीं संधारित किये जाने पर चिंता व्यक्त की गयी | अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल द्वारा निरंतर मोनिटरिंग किये जाने की व्यवस्था को बेहतर किये जाने का मत दिया गया | इस हेतु सिविल सोसाइटी के सदस्यों को चिन्हित किये जाने का अभिमत दया गया |

5. समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलों पर चर्चा की गयी | सदस्यों द्वारा अपील पर अभिमत देने के पूर्व अपील की टीप के अतिरिक्त, अन्य समस्त दस्तावेजों की समीक्षा उपरांत मत दिया जाना उचित पाया, इस हेतु आगामी बैठक से पूर्व समस्त सदस्यों को सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराये जाने का मत दिया गया |

6. समिति के समक्ष जिले स्तर पर किये गए निरीक्षणों एवं जिला सलाहकार समितियों द्वारा की गयी बैठकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत जानकारी की समीक्षा की गयी | अध्यक्ष महोदया द्वारा अग्रिम बैठकों में यह जानकारी प्रतिशत के रूप में दिए जाने के निर्देश दिए गए |

7. समिति के सदस्यों को जिलों द्वारा पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी अधिनियम एवं नियम के क्रियान्वयन हेतु किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया | जिला रतलाम एवं भोपाल द्वारा न्यायायिक प्रकरणों में सफल प्रयासों को सराहते हुए प्रशंसा पत्र दिए जाने का मत दिया गया |

8. अंत में अध्यक्ष महोदया द्वारा, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी अधिनियम एवं नियम एवं गिरते हुए लिंगानुपात की समस्या के परिपेक्ष्य में राज्य सलाहकार समिति के महत्वपूर्ण दायित्वों के गंभीरता से परिपालन किये जाने का अभिमत दिया गया | इस सम्बन्ध में समिति की अग्रिम बैठक दिनांक 28.08.2019 को सर्वसम्मति से निर्धारित की गयी |

(signature)

अध्यक्ष

राज्य सलाहकार समिति

पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी

Professor and Head
Department of Pediatrics
Gandhi Medical College &
Hamidia Hospital, BHOPAL